न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–04/2019 दायर दिनाँक 20.07.2022

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. बक्सु खां पुत्र आजु खां जाति कायमखानी निवासी चौलूखां, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. अहमद अली खां पुत्र आलम अली खां 2. फारूख खां पुत्र युसूफ खां 3. ईकबाल खां पुत्र युसूफ खां 4. अमीना बानो बैवा युसूफ खां 5. न्याज मोहम्मद पुत्र आलम अली खां 6. सायरा बैवा आलम अली खां 7. भंवरू खां पुत्र आजम खां 8. सिकन्दर खां पुत्र आमीन खां 9. अफसाना बानो पुत्री आमीन खां 10. रूकसाना बानो पुत्री आमीन खां 11. समीम बानो पुत्री आमीन खां 12. गुलशन बानो पुत्री आमीन खां 13. मुन्नी बानो पत्नि आमीन खां 14. रजाक खां पुत्र मुस्ताक खां 15. रमजान खां पुत्र मुस्ताक खां 16. इसब खां पुत्र मुस्ताक खां 17. भंवरी बानो पुत्री आजम खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण चौलूखां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 18. पीथाराम पुत्र पुसाराम जाति जाट 19. हबीब खां पुत्र नब्बू खां 20. याकूब खां पुत्र नब्बू खां 21. असलम खां पुत्र भंवरू खां 22. जैतुन बानो पत्नि भंवरू खां 23. गुलशेर खां पुत्र हुसैन खां 24. सरीफ खां पुत्र हुसैन खां 25. भंवरी बानो पत्नि स्व हुसैन खां 26. उम्मेद खां पुत्र निजावत खां 27. मुराद खां पुत्र निजावत खां 28. महबूब खां पुत्र निजावत खां 29. समदर खां पुत्र निजावत खां 30. मुन्नी खां पुत्र निजावत खां 31. असगर खां पुत्र भंवरू खां 32. असलम खां पुत्र भंवरू खां 33. जैतुन बानो पुत्री भंवरू खां 34. [illegible] डीडवाना जिला नागौर राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हकीम खां वकील प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **28.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 07 ता 20 की खातेदारी सुदा खेत खसरा सं0 07 रकबा 02.02 हैक्टर बारानी प्रथम ग्राम चौलुखां पटवार हल्का चौलूखां भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र दौलतपुरा में अवस्थित है, जिनका कब्जा काश्तकार, खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 07 ता 20 है।

यह है कि प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 07 के चिपते ही पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 01 ता 06 की खातेदारी का खेत खसरा 06 रकबा 1.81 हैक्टर बारानी प्रथम व अप्रार्थी सं0 21 ता 36 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 05 रकबा 0.33 हैक्टर मौजा चौलूखां में स्थित है।

यह है कि प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु कदीम से अप्रार्थी सं0 01 व अप्रार्थी सं0 02 ता 04 के पिता युसुफ अली तथा अप्रार्थी सं0 05, 06 तथा अप्रार्थीगण सं0 21 ता 36 के खेत में से होकर आम सड़क पर जाने के लिए सुलभ व नजदीक पश्चिम से पूर्व रास्ता कदीम से चला आ रहा है। जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता दर्शाया हुआ है। वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना के आपने पत्रांक रीडर/2021/217 दिनांक 02.03.2021 के अनुसार आवेदक के खेत [illegible] 07 रकबा 02.02 हैक्टर में जो एकल [illegible] रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को अपने खेत में [illegible] जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक के खेत खसरा सं0 07 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा सं0 05, 06 में से ही नजदीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

लगता है, तथा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु नक्शे में दर्शित मार्क A, B, C, D, E, F सबसे नजदीक रास्ता है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के खेत खसरा न. 07 से मार्क A, B, C, D, E, F से प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा सं0 07 रकबा 02.02 हैक्टर वाकै सरहद चौलूखां में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक रीडर/2021/217 दिनांक 02.03.2021 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 07 वाके सरहद चौलूखां में दर्शित मार्क A, B, C, D, E, F रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांक रीडर/2021/217 दिनांक 02.03.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **28.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner